



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 546]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 23, 2012/कार्तिक 1, 1934

No. 546]

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 23, 2012/KARTIKA 1, 1934

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अक्टूबर, 2012

सा.का.नि. 787(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949 (1949 का 66) की धारा 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (योद्धक समूह “ग” अनुसचिवीय पद) भर्ती नियम, 2010 को जहां तक इनका संबंध सहायक उप निरीक्षक (आशुलिपिक) और हैड कांस्टेबल (अनुसचिवीय) के पदों से है उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय के अधीन केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में सहायक उप निरीक्षक (आशुलिपिक) और हैड कांस्टेबल (अनुसचिवीय) के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, सहायक उप निरीक्षक (आशुलिपिक) और हैड कांस्टेबल (अनुसचिवीय) भर्ती नियम, 2012 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन होने की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **लागू होना.**—ये नियम, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे ।

3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.**—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

5. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार को यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इन नियमों के तहत नियुक्ति के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. चिकित्सक दृष्ट्या योग्यता :- इन नियमों के अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, केवल वे व्यक्ति जो चिकित्सा प्रवर्ग शेष-1 में हैं, इन नियमों के उपबंधों के अधीन नियुक्ति के लिए पात्र होंगे।

स्पष्टीकरण: इस नियम के प्रयोजन के लिए, “शेष-1” से परिभाषित चिकित्सा प्रवर्ग से अभिप्रेत है :-

(i) कोड अक्षर शेष (एस.एच.ए.पी.ई.), जो निम्नलिखित कृत्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, द्वारा उपदर्शित दिए गए कारकों के अधीन अधिकारी की उपयुक्तता निर्धारित करने के पश्चात् चिकित्सा अधिकारी द्वारा किया गया चिकित्सा वर्गीकरण, अर्थात:-

- एस - मनोवैज्ञानिक
- एच - श्रवण शक्ति
- ए - उपांग (अपैन्डेजेस)
- पी - शारीरिक क्षमता
- ई - दृष्टि शक्ति

(ii) प्रत्येक कारक के अधीन, किसी अधिकारी की कार्यात्मक क्षमता, प्रत्येक कोड अक्षर के सामने अंक 1 से 5 की कार्यक्षमता उपदर्शित करते हुए दर्शाई जाएगी और कोड अक्षर के पश्चात् अंक लिखे जाएंगे सिवाय उसके जहां कोई अधिकारी सभी कारकों में क्षेणी-1 में हैं वहां उसका प्रवर्ग एस1एच1ए1पी1ई1 लिखने के बजाय शेष-1 लिखकर दर्शाया जा सकेगा और इन अंकों का साधारण मूल्यांकन निम्नानुसार है:-

1. कहीं पर भी सभी कर्तव्यों के लिए उपयुक्त है।
2. सभी कर्तव्यों के लिए योग्य किन्तु क्या कर्तव्यों में तीव्र कठिनाई या दोनों कानों या आँखों को श्रवण शक्ति/दृष्टि की तीक्ष्णता की मांग अन्तर्ग्रस्त है या नहीं, पर निर्भर करते हुए कर्तव्यों के प्रकार और नियोजन योग्यता क्षेत्रों के अनुसार परिसीमाएं हो सकती हैं।

3. “एस” घटक को छोड़कर, नेमी या निष्क्रिय कर्तव्यों के लिए योग्य किन्तु उच्च स्थान(2700 मीटर से अधिक) अत्यधिक ठंडे क्षेत्रों या पहाड़ी भूखंडों पर और दीर्घ कर्तव्यों भारों के लिए नियोजन योग्यता की परिसीमाएं हो सकती है ।
 4. अस्पताल में भर्ती या बीमारी की छुट्टी के कारण कर्तव्यों के लिए अस्थाई रूप से अयोग्य ।
 5. कर्तव्यों के लिए स्थायी रूप से अयोग्य ।
7. **भारत के गैर नागरिक की अपात्रता :** कोई व्यक्ति, जो भारत का नागरिक नहीं है, लिखित में केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के सिवाय, इन नियमों के अधीन नियुक्त नहीं किया जाएगा:
- परंतु इस नियम में अंतर्विष्ट कोई बात, नेपाल या भूटान की प्रजा का बल में नियुक्ति या नियोजन को विवर्जित नहीं करेगी
8. **अधिवर्षिता :** (1) इन नियमों के अधीन नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति उस मास के, जिसमें वह सत्तावन वर्ष की आयु प्राप्त करता है, अंतिम दिन के अपराह्न में सेवानिवृत्त होगा:
- परंतु वह व्यक्ति जिसके जन्म की तारीख किसी मास की पहली तारीख होगी, सत्तावन वर्ष की आयु प्राप्त करने के पूर्ववर्ती मास के अंतिम दिन के अपराह्न में सेवानिवृत्त होगा ।
- (2) किसी भी व्यक्ति को उप नियम (1) में विनिर्दिष्ट सेवानिवृत्ति की आयु से परे सेवा में विस्तार मंजूर नहीं किया जाएगा ।
9. **शिथिल करने की शक्ति :-** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।
10. **व्यावृत्ति :-** इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु सीमा छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपाबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. सहायक उप निरीक्षक (आशुलिपिक)	206* (2012) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित (योधक अनुसचिवीय)	वेतन बैंड-1 5200-20200 रु० और ग्रेड वेतन 2800 रु०	लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष (अनुसूचित जाति (अ. जा) और अनुसूचित जनजाति (अ. ज. जा) के अभ्यर्थियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में 05 वर्ष एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (अ.पि.व.) के लिए 03 वर्ष की छूट होगी)। सरकारी सेवकों और भूतपूर्व सैनिक और अन्य विशेष श्रेणी के व्यक्तियों के लिए भी केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार छूट होगी। विभागीय अभ्यर्थियों के लिए ऊपरी आयु सीमा साधारण व अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 40 वर्ष और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 45 वर्ष होगी। टिप्पण:- आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू - काश्मीर राज्य का लद्दाख मंडल और हिमाचल प्रदेश का लाहोल और स्पीति जिला एवं चम्बा जिले का उपमण्डल पांगी, अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)

भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो									
(7)	(8)	(9)									
(i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय से 10+2 उत्तीर्ण अथवा समतुल्य। (ii) कम्प्यूटर पर दक्षता, परीक्षण सत्रियम :- श्रुतलेखन : 10 मिनट में 80 शब्द प्रति मिनट की गति से। प्रतिलेखन समय : कम्प्यूटर पर अंग्रेजी में 50 मिनट या हिंदी में 65 मिनट	लागू नहीं होता	02 वर्ष									
(iii) शारीरिक मानदण्ड											
<table border="1"> <tr> <th>ऊंचाई</th><th>पुरुष</th><th>महिला</th></tr> <tr> <td>अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के सिवाय सभी अभ्यर्थियों के लिए</td><td>165 से.मी.</td><td>155 से.मी.</td></tr> </table>	ऊंचाई	पुरुष	महिला	अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के सिवाय सभी अभ्यर्थियों के लिए	165 से.मी.	155 से.मी.					
ऊंचाई	पुरुष	महिला									
अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के सिवाय सभी अभ्यर्थियों के लिए	165 से.मी.	155 से.मी.									
छूट : (गढ़वाली, कुमाउनी, गोरखा, डोगरा, मराठा के प्रवर्ग में आने वाले और सिक्किम, नागालैण्ड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर राज्यों और जम्मू - कश्मीर से संबंधित लेह व लद्दाख क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के लिए)	162.5 से.मी.	150 से.मी.									
अनुसूचित जनजातियों से संबंधित सभी अभ्यर्थियों के लिए	162.5 से.मी.	150 से.मी.									
सीना (केवल पुरुष अभ्यर्थियों के लिए)											
<table border="1"> <tr> <th></th><th>साधारण (अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ी जातियों सहित)</th><th>अनुसूचित जन जाति</th></tr> <tr> <td>बिना फुलाए</td><td>77 से.मी.</td><td>76 से.मी.</td></tr> <tr> <td>फुलाकर</td><td>82 से.मी.</td><td>81 से.मी.</td></tr> </table>		साधारण (अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ी जातियों सहित)	अनुसूचित जन जाति	बिना फुलाए	77 से.मी.	76 से.मी.	फुलाकर	82 से.मी.	81 से.मी.		
	साधारण (अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ी जातियों सहित)	अनुसूचित जन जाति									
बिना फुलाए	77 से.मी.	76 से.मी.									
फुलाकर	82 से.मी.	81 से.मी.									
वजन: चिकित्सा मानकों के अनुसार ऊंचाई और उम्र के समरूप (पुरुषों व महिलाओं हेतु)											

4034 GI/12-2

(iv) चिकित्सा मानदण्ड (क) दृष्टि – न्यूनतम दूर दृष्टि एक आँख की 6/6 और दूसरी आंख की 6/9 बिना किसी सुधार अर्थात् चश्मे अथवा लेंस का प्रयोग किए बिना होनी चाहिए (ख) उम्मीदवारों के घुटने आपस में टकराने नहीं चाहिए, उनके पांव सपाट, आंखों में भेंगापन अथवा वेरिकोस नस नहीं होनी चाहिए। उनकी रंग दृष्टि उच्च होनी चाहिए। उनकी मानसिक दशा और शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए और ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त होना चाहिए जो उनकी ड्यूटी के कुशल निष्पादन में बाधक बनें।			
भर्ती की पद्धति : सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भी जाने वाले रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन दिया जाएगा	यदि विभागीय पदोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(10)	(11)	(12)	(13)
(i) 85% सीधी भर्ती द्वारा (ii) 15% सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा द्वारा जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा	i) सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से चयन उन कांस्टेबल (साधारण ड्यूटी), हैड कांस्टेबल (साधारण ड्यूटी), हैड कांस्टेबल (अनुसचिवीय), कांस्टेबल (दफ्तरी) और कांस्टेबल (ट्रेड्समेन) में से जिन्होंने कांस्टेबल और /अथवा हैड कांस्टेबल ग्रेड में 05 वर्ष की सम्मिलित नियमित सेवा पूरी कर ली हो और वे स्तंभ (7) के अन्तर्गत सीधी भर्ती के लिए विहित अर्हता रखते हों। ii) चिकित्सा प्रवर्ग “शेप-I” में होना चाहिए और iii) सेवा अभिलेख अच्छा होना चाहिए।	समूह ‘ग’ विभागीय प्रोन्नति समिति/परिवीक्षा और पुष्टि पर विचार करने के लिए जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:— 1. उप पुलिस महानिरीक्षक, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल – अध्यक्ष 2. कमांडेंट, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल – सदस्य 3. डीसी/एसी (कार्यालय/अनुसचिवीय) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल – सदस्य	लागू नहीं होता

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. हैड कांस्टेबल (अनुसचिवीय),	2322* (2012) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित (योधक अनुसचिवीय)	वेतन बैंड-1 5200-20200 रु0 और ग्रेड वेतन 2400/-	लागू नहीं	18 से 25 वर्ष। अनुसूचित जाति (अ.जा.) और अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.) के अभ्यर्थियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में 05 वर्ष एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (अ.पि.व.) के लिए 03 वर्ष की छूट होगी। सरकारी सेवकों और भूतपूर्व सैनिक और अन्य विशेष श्रेणी के व्यक्तियों के लिए भी केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार छूट होगी। विभागीय अभ्यर्थियों के लिए ऊपरी आयु सीमा साधारण व अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 40 वर्ष और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 45 वर्ष होगी। टिप्पण:- आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू - काश्मीर राज्य का लद्दाख मंडल और हिमाचल प्रदेश का लाहोल और स्पीति जिला एवं चम्बा जिले का उपमण्डल पांगी, अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)

(7)	(8)	(9)																					
किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय से 10+2 उत्तीर्ण अथवा समतुल्य । iv) कम्प्यूटर पर दक्षता परीक्षण सत्रियम:- कम्प्यूटर पर अंग्रेजी टंकण की गति न्यूनतम 35 शब्द प्रति मिनट या कम्प्यूटर पर हिंदी टंकण की गति न्यूनतम 30 शब्द प्रति मिनट (कम्प्यूटर पर प्रत्येक शब्द के लिए अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट और हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट 5 कुंजी दबाव सहित अंग्रेजी में 10500 प्रति घंटा कुंजी दबाव और हिंदी में 9000 प्रति घंटा कुंजी दबाव के सदृश हैं) (iii) शारीरिक मानदण्ड <table border="1" data-bbox="193 920 730 1630"> <tr> <th>ऊँचाई</th><th>पुरुष</th><th>महिला</th></tr> <tr> <td>अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के सिवाय सभी अभ्यर्थियों के लिए</td><td>165 से.मी.</td><td>155 से.मी.</td></tr> <tr> <td>छूट : (गढ़वाली, कुमाउनी, गोरखा, डोगरा, मराठा के प्रवर्ग में आने वाले और सिक्किम, नागालैण्ड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर राज्यों और जम्मू - कश्मीर के लेह व लद्दाख क्षेत्रों से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए)</td><td>162.5 से.मी.</td><td>150 से.मी.</td></tr> <tr> <td>अनुसूचित जनजातियों से संबंधित सभी अभ्यर्थियों के लिए</td><td>162.5 से.मी.</td><td>150 से.मी.</td></tr> </table> सीना (केवल पुरुष उम्मीदवारों के लिए) <table border="1" data-bbox="188 1682 719 1939"> <tr> <th></th><th>साधारण (अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ी जातियों सहित)</th><th>अनुसूचित जन जाति</th></tr> <tr> <td>बिना फुलाए</td><td>77 से.मी.</td><td>76 से.मी.</td></tr> <tr> <td>फुलाकर</td><td>82 से.मी.</td><td>81 से.मी.</td></tr> </table> वजन: चिकित्सा मानकों के अनुसार ऊँचाई और उम्र के समरूप (पुरुषों व महिलाएं हेतु)	ऊँचाई	पुरुष	महिला	अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के सिवाय सभी अभ्यर्थियों के लिए	165 से.मी.	155 से.मी.	छूट : (गढ़वाली, कुमाउनी, गोरखा, डोगरा, मराठा के प्रवर्ग में आने वाले और सिक्किम, नागालैण्ड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर राज्यों और जम्मू - कश्मीर के लेह व लद्दाख क्षेत्रों से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए)	162.5 से.मी.	150 से.मी.	अनुसूचित जनजातियों से संबंधित सभी अभ्यर्थियों के लिए	162.5 से.मी.	150 से.मी.		साधारण (अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ी जातियों सहित)	अनुसूचित जन जाति	बिना फुलाए	77 से.मी.	76 से.मी.	फुलाकर	82 से.मी.	81 से.मी.	लागू नहीं	दो वर्ष
ऊँचाई	पुरुष	महिला																					
अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के सिवाय सभी अभ्यर्थियों के लिए	165 से.मी.	155 से.मी.																					
छूट : (गढ़वाली, कुमाउनी, गोरखा, डोगरा, मराठा के प्रवर्ग में आने वाले और सिक्किम, नागालैण्ड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर राज्यों और जम्मू - कश्मीर के लेह व लद्दाख क्षेत्रों से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए)	162.5 से.मी.	150 से.मी.																					
अनुसूचित जनजातियों से संबंधित सभी अभ्यर्थियों के लिए	162.5 से.मी.	150 से.मी.																					
	साधारण (अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ी जातियों सहित)	अनुसूचित जन जाति																					
बिना फुलाए	77 से.मी.	76 से.मी.																					
फुलाकर	82 से.मी.	81 से.मी.																					

(iv) चिकित्सा मानदण्ड. (क) दृष्टि – न्यूनतम दूर दृष्टि एक आँख की 6/6 और दूसरी आँख की 6/9 बिना किसी सुधार अर्थात् चश्मे अथवा लेंस का प्रयोग किए बिना होनी चाहिए। (ख) अभ्यर्थियों के घुटने आपस में टकराने नहीं चाहिए, उनके पांव सपाट, आंखों में भेंगापन अथवा वेरिकोस नस नहीं होनी चाहिए। उनकी रंग दृष्टि उच्च होनी चाहिए। उनकी मानसिक दशा और शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए और ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त होना चाहिए जो उनकी ड्यूटी के कुशल निष्पादन में बाधक बने।		
---	--	--

(10)	(11)	(12)	(13)
(iii) 85% सीधी भर्ती द्वारा। (iv) 15% सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा द्वारा जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा।	i) सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से चयन उन कांस्टेबल (साधारण ड्यूटी), हैड कांस्टेबल (साधारण ड्यूटी), कांस्टेबल (दफ्तरी) और कांस्टेबल (ट्रेड्समेन) में से जिन्होंने कांस्टेबल अथवा / हैड कांस्टेबल ग्रेड में 05 वर्ष की सम्मलित नियमित सेवा पूरी कर ली हो और वे स्तंभ (7) के अन्तर्गत सीधी भर्ती के लिए विहित अर्हता रखते हों। ii) चिकित्सा प्रवर्ग “शेप-I” में होना चाहिए और iii) सेवा अभिलेख अच्छा होना चाहिए।	समूह ‘ग’ विभागीय प्रोन्नति समिति /परिवीक्षा और पुष्टि पर विचार करने के लिए जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:- 1. उप पुलिस महानिरीक्षक, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल – अध्यक्ष 2. कमांडेंट, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल – सदस्य 3. डीसी/एसी(कार्यालय/अनुसचिवीय) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल- सदस्य	लागू नहीं होता

[सं. आर. IX-3/2012-मिन./सीआरपीएफ/कार्मिक-II]

नीरज कंसल, निदेशक (कार्मिक)

4034 GI/12-3

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th October, 2012

G.S.R. 787(E).—In exercise of the powers conferred by section 18 of the Central Reserve Police Force Act, 1949 (66 of 1949) and in supersession of the Central Reserve Police Force (Combatised Group 'C' Ministerial posts) Recruitment Rules, 2010 in so far they relate to the post of Assistant Sub Inspector (Steno) and Head Constable (Ministerial), except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Assistant Sub Inspector (Steno) and Head Constable (Ministerial) in the Central Reserve Police Force in the Ministry of Home Affairs namely :-

1. **Short title and commencement.**—
 - (1) These rules may be called the Central Reserve Police Force, Assistant Sub Inspector (Steno) and Head Constable (Ministerial) Recruitment Rules, 2012.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. **Application.**— These rules shall apply to the posts specified in column(1) of the schedule annexed to these rules.
3. **Number of posts, classification, pay band and grade pay or pay scale.**—
The number of the said posts, their classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the aforesaid Schedule
4. **Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.** — The method of recruitment, age-limit, qualifications, and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
5. **Disqualification.**— No person,
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person;

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.
6. **Medical Fitness.**— Notwithstanding anything contained in these rules, only those persons who are in medical category SHAPE-1, shall be eligible for appointment under the provisions of these rules.
Explanation.— For the purpose of this rule, "SHAPE-1" means medical category defined as under:-

- (i) Medical classification done by Medical Officer after assessing fitness of the officer under the given factors indicated by the code letters SHAPE, which represent the following functions, namely:-

S – Psychological
H – Hearing
A – Appendages
P – Physical Capacity
E – Eyesight

- (ii) Functional capacity of an officer under each factor shall be denoted by numerals 1 to 5 against each code letter, indicating the declining functional efficiency and the numerals will be written next to the code letter, except that where an officer is in Grade-1 in all factors, his category may be denoted by writing SHAPE-1, instead of writing S1H1A1P1E1, and the general evaluation of these numerals is given as under:-

1. Fit for all duties anywhere.
2. Fit for all duties but may have limitations as to the type of duties and the area of employability depending on whether the duties involve severe stress of demand acuity of hearing or vision of both eyes or eyes respectively.
3. Excepting "S" factor, fit for routine or sedentary duties but may have limitations of employability at high altitude (above 2,700 meters) extreme cold areas or hilly terrain and for long assignments.
4. Temporarily unfit for duties on account of hospitalization or sick leave.
5. Permanently unfit for duties.

7. **Ineligibility of non-citizens of India.**- No person who is not a citizen of India shall, except with the prior permission of the Central Government in writing, be appointed or employed under these rules:

Provided that nothing contained in this rule shall debar the appointment or employment of a subject of Nepal or Bhutan in the force.

8. **Superannuation.**-(1) A person appointed under these rules shall retire from service on the afternoon of the last day of the month in which he attains the age of fifty seven years:

Provided that the person whose date of birth is the first day of a month shall retire on the afternoon of the last day of the preceding month of attaining the age of fifty seven years.

(2) No person shall be granted extension in service beyond the age of retirement specified in sub-rule (1)

9. **Power to relax.**- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

10. **Saving.**- Nothing in this rules shall effect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the Post	Number of post	Classification	Pay band and Grade Pay or Pay Scale	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made	If a departmental promotion committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
1. Assistant Sub-Inspector (Steno)	206* (2012) *Subject to variation depending on workload	General Central Service, Group-C, Non-Gazetted, (Combatant, Ministerial)	Pay Band -1 Rs.5200-20200 plus Grade Pay Rs.2800/-	Not applicable	(6) Between 18 and 25 years (Upper age limit shall be relaxable by five years for the candidates belonging to the Scheduled Castes (SC) and the Scheduled Tribes (ST) and three years for Other Backward Classes (OBC). Also relaxable for Government servants and Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time. For Departmental candidates, upper age limit shall be 40 years for General and Other Backward Classes candidates and 45 years for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes candidates. Note:- The Crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti Districts and Pangi sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).	(7) (i) 10+2 pass or equivalent from a recognized Board or University. (ii) Skill test norms on computer:- Dictation: 10 minutes @ 80 words per minute. Transcription time- 30 minutes in English or 65 minutes in Hindi on computer. (iii) Physical standard: Height For all candidates except the Scheduled Tribes candidates Relaxation - Candidates falling in the categories of: Kumaonis, Garhwales, Dogras, Marathas and the States of Sikkim, Nagaland, Arunachal Pradesh, Manipur, Tripura, Mizoram, Meghalaya, Assam, Himachal Pradesh, and Jammu & Kashmir All candidates belonging to the Scheduled Tribes	(8) Not applicable	(9) Two years	(10) (i) 85% by direct recruitment. (ii) 15% by Limited Departmental Competitive Examination, failing which by direct recruitment.	(11) (i) By Limited Departmental Competitive Examination, Form amongst Constables (General Duty), Head Constable (General Duty) (Ministerial), Deputy Inspector General of Police, Constable (Daftry) and Constable (Tradesmen) with five year combined regular service in Police Force- Constable and/or Head Constable grade and possessing qualifications prescribed for direct recruits under column (7); (ii) Should be in the medical category "SHAPE-1" and (iii) Must have good record of service.	(12) Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering the probation/confirmation consisting of:- 1. Deputy Inspector General of Police, Central Reserve Police Force- Chairman 2. Commandant, Central Reserve Police Force- Member 3. DC/AC/Officer/Ministerial/Central Reserve Police Force- Member	(13) Not applicable

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
						Chest (for male candidates only)						
						General Scheduled Tribes						
						(including Scheduled Castes /Other Backward Castes)						
						Unexpanded	77 cms.	76 cms.				
						Expanded	82 cms.	81 cms.				
						Weight : Corresponding to height and age as per medical standards (For males and Females).						
						(iv) Medical Standard						
						(a) Eye Sight- The minimum distant vision should be 6/6 in one eye and 6/9 in other eye without correction i.e. without wearing of glasses or lenses.						
						(b) Candidates must not have knock knee, flat foot, squint in eyes or varicose vein and they should possess high colour vision. They must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of the duties.						

40346I/12-4

SCHEDULE

SCHEDULE																											
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)															
2. Head Constable (Ministerial)	2322 * (2012) * Subject to variation depending on workload.	General Central Service, Group-C, Non Gazetted, (Combaitsed, Ministerial).	Pay Band-I Rs.5200-20200 plus Grade Pay Rs.2400.	Not applicable	Between 18 and 25 years (Upper age limit shall be relaxable by five years for the candidates belonging to the Scheduled Castes (SC) and the Scheduled Tribes (ST) and three years for Other Backward Classes (OBC). Also relaxable for Government servant and Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time. For Departmental candidates, upper age limit shall be 40 years for General and Other Backward Classes candidates and 45 years for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes candidates.	(i) 10+2 pass or equivalent from a recognized Board or University. (ii) Skill test norms on computer:- English Typing with minimum speed of 35 words per minute on computer OR Hindi Typing with minimum speed of 30 words per minute on computer (35 words per minute in English and 30 words per minute in Hindi corresponding to 10500 key depressions per hour in English 9000 key depressions per hour in Hindi with average of 5 key depressions for each word on computer) <table><tr><th>(iii) Physical standard.</th><th>Male</th><th>Female</th></tr><tr><td>Height</td><td>165 cms.</td><td>155 cms.</td></tr><tr><td>For all candidates except Scheduled Tribes candidates</td><td>162.5 cms.</td><td>150 cms.</td></tr><tr><td>Relaxation Candidates falling in the categories of Garhwalies, Kumaonis, Gorkhas, Dogras, Marathis and candidates belonging to the States of Sikkim, Nagaland, Arunachal Pradesh, Manipur, Tripura, Mizoram, Meghalaya, Assam, Himachal Pradesh and Jammu & Kashmir.</td><td>162.5 cms.</td><td>150 cms.</td></tr><tr><td>All candidates belonging to the Scheduled Tribes</td><td>162.5 cms.</td><td>150 cms.</td></tr></table>	(iii) Physical standard.	Male	Female	Height	165 cms.	155 cms.	For all candidates except Scheduled Tribes candidates	162.5 cms.	150 cms.	Relaxation Candidates falling in the categories of Garhwalies, Kumaonis, Gorkhas, Dogras, Marathis and candidates belonging to the States of Sikkim, Nagaland, Arunachal Pradesh, Manipur, Tripura, Mizoram, Meghalaya, Assam, Himachal Pradesh and Jammu & Kashmir.	162.5 cms.	150 cms.	All candidates belonging to the Scheduled Tribes	162.5 cms.	150 cms.	Not applicable	Two years	(i) 85% by direct recruitment. (ii) 15% by Limited Departmental Competitive Examination, failing which by direct recruitment.	(i) By selection through Limited Departmental Competitive Examination, From amongst Constable (General Duty), Head Constable (General Duty), Constable (Dutary) and Constable (Tradesmen) with five year total regular service in Constable and/or Head Constable grade(s) and possessing qualifications prescribed for direct recruits under column (7); (ii) Should be in the medical category "SHAPE-I"; and (iii) Must have good record of service.	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering the probation/confirmation of:- 1. Deputy Inspector General of Police, Central Reserve Police Force- Chairman 2. Commandant, Central Reserve Police Force- Member 3. DC/AC/Oficer/Ministerial/Central Reserve Police Force- Member	Not applicable.
(iii) Physical standard.	Male	Female																									
Height	165 cms.	155 cms.																									
For all candidates except Scheduled Tribes candidates	162.5 cms.	150 cms.																									
Relaxation Candidates falling in the categories of Garhwalies, Kumaonis, Gorkhas, Dogras, Marathis and candidates belonging to the States of Sikkim, Nagaland, Arunachal Pradesh, Manipur, Tripura, Mizoram, Meghalaya, Assam, Himachal Pradesh and Jammu & Kashmir.	162.5 cms.	150 cms.																									
All candidates belonging to the Scheduled Tribes	162.5 cms.	150 cms.																									

[No. R. IX-3/2012-Min./CRPF/Pers-II]
NEERAJ KANSAL, Director (Pers.)

